एकात्म भारत के लिए
सुचेंद्र मिश्रा द्वारा प्रकाशित

एकात्म भारत

@EkatmaBharat
दैनिक एकात्म भारत

कार्तिक शुक्ल पक्ष, षष्ठी
शनिवार विक्रम संवत् 2076

जो एकात्म है वही भारत है

2 नवंबर 2019, इंदौर
e-paper : www.ekatmabharat.com

भाजपा ने अब तक गठबंधन में नुकसान ही उठाया है

सुचेन्द्र मिश्रा

महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार का मामला मुख्यमंत्री की कुर्सी में उलझा हुआ है। अपना-अपना मुख्यमंत्री बनाने के दावे के बाद अब भाजपा की ओर से राष्ट्रपति शासन लगाने की बात भी चलने लगी है। भाजपा- शिवसेना का गठबंधन 25 वर्ष से अधिक पुराना है और इसे भाजपा का सबसे स्वाभाविक गठबंधन माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि दोनों दलों के बीच वैचारिक समानता है। लेकिन इस बार कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। इस मामले में हाल ही जद-यू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने एक लेख लिखा है। त्यागी ने लिखा है कि भाजपा ने 1977 के जनता पार्टी के प्रयोग के समय से ही गठबंधन में हमेशा समझौता किया है। चाहे चौधरी देवीलाल का लोक दल हो या वीपी सिंह का जनता दल, सभी ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन सत्ता में भागीदारी करने के मामले में ये दल हमेशा से मनमानी करते रहे। वीपी सिंह की तो यह हालत थी कि वे 1989 के आम चुनाव में जब प्रत्याशियों को पक्ष में सभा लेने जाते थे तो उनकी सभा के पहले मंच के आस-पास से भाजपा के झंडे हटाए जाते थे। इस बात के निर्देश स्वयं वीपी सिंह ने दिए थे। हालांकि भाजपा के सहयोग के बिना वे कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। यही हाल हरियाणा में भी हुए थे। 1987 विधानसभा चुनाव में देवीलाल ने भाजपा की सीटें 22 से घटाकर 17 कर दी और गठबंधन को बहुमत मिलने पर सीपीआई नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने देवीलाल के मित्र प्रकाश सिंह बादल के जरिए देवीलाल को भाजपा को सरकार में न शामिल करने का दबाव बनाया। भाजपा की ओर से सरकार के गठन की बात करने की जिम्मेदारी राजमाता विजयाराजे सिंधिया के पास थी। देवीलाल राजमाता का बहुत सम्मान करते थे। इसके चलते वे भाजपा को सत्ता से बाहर नहीं रख पाए। गठबंधन में भाजपा के नुकसान उठाने के ऐसे कई किस्से हैं।

संघ ने सरकार से पूरे देश में एनआरसी लागू किए जाने की मांग की

दिल्ली में संघ की दो दिवसीय बैठक समाप्त, अयोध्या के संभावित निर्णय पर भी हुई चर्चा

दिल्ली

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) असम की तरह पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लागू किए जाने के पक्ष में है। दिल्ली में आरएसएस की दो दिनों तक चली बैठक गुरुवार को समाप्त हो गई। इस बैठक में राम मंदिर से लेकर एनआरसी मुद्दे पर संघ और बीजेपी नेताओं के बीच चर्चा हुई। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संघ ने स्वीकार करने की बात कही है। साथ ही संघ अयोध्या फैसले को स्वीकार करने लिए देशव्यापी अभियान भी चलाएगा।

राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संघ व उसके सहयोगी संगठनों को क्या कदम उठाना चाहिए, इसको लेकर शीर्ष पदाधिकारियों ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ मंथन किया। हालांकि इस संबंध में संगठन की ओर से कोई अधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

सूत्रों की मानें तो राम मंदिर पर आने वाले निर्णय के बाद देश में शांति-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर किए जाने वाले उपायों पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। संघ इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करने के लिए अभियान चलाने की बात की गई है।

एनआरसी पर भी हुई चर्चा

एनआरसी के मुद्दे पर भी आरएसएस की बैठक में चर्चा हुई। संघ देश में घुसपैठियों की पहचान कर उचित कार्रवाई करने के लिए देश भर में एनआरसी लागू किए जाने की इच्छा जाहिर की है। सूत्रों की मानें तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने संघ ने साफ कर

कर दिया है कि सरकार का काम देश में रहने वाले लोगों को चिन्हित करे और जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उसे देश से बाहर करे। यह किसी भी 'वर्ग विशेष के खिलाफ' नहीं है। असम की तरह एनआरसी जैसी प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जानी चाहिए।

आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में दिल्ली के छतरपुर में बैठक में संघ के सभी 36 अनुषांगिक संगठनों के शीर्ष पदाधिकारियों ने भाग लिया। संघ के प्रमुख नेताओं में सरकार्यवाह सुरेश भैय्याजी जोशी, सहसरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मौजूद रहे. वहीं, बीजेपी की तरफ से पार्टी अध्यक्ष व गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के संयुक्त महासचिव बीएल संतोष ने बैठक में हिस्सा लिया।

दरसअल संघ ने दिल्ली में बैठक शुरू होने से पहले एक बयान जारी कर कहा था, 'आगामी दिनों में श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के केस पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने की संभावना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आए उसे सभी को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। निर्णय के पश्चात देश भर में वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे, यह सबका दायित्व है। इस विषय पर भी बैठक में विचार हो रहा है।' इससे पहले यह बैठक हरिद्वार में होने वाली थी। लेकिन अंतिम समय पर इसे दिल्ली में आयोजित किया गया। संघ ने निर्णय को देखते हुए कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी संशोधन किया है।

धारा 370 हटने का असरः गुलाम नबी आजाद ने खाली किया सरकारी आवास

कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। जहां सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद देशभर में पूर्व मुख्यमंत्रियों को उन्हें मिले सरकारी आवास खाली करना पड़े थे। लेकिन कश्मीर में धारा 370 के चलते वहां के पूर्व मुख्यमंत्री अबगुलाम नबी भी सरकारी आवास में मजे कर रहे थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर के वीवीआईपी जोन में स्थित अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है।

अब नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती सहित अन्य पूर्व राजनेताओं को भी जल्द ही अपना सरकारी बंगला खाली करना होंगे। गुलाम नबी आजाद को सरकार द्वारा मुफ्त में श्रीनगर गुपकार रोड पर स्थित जम्मू-कश्मीर बैंक का गेस्ट हाउस दिया गया था। जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब वहां की जनता और राजनेता सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में आ गए हैं. सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के आदेश के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री या फिर कोई राजनेता जो किसी संवैधानिक पद पर है, वह जीवनभर सरकारी बंगलों में नहीं रह सकता है। पद मुक्त होने के बाद उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना होगा।

अभी तक जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों को कार, ड्राइवर, पेट्रोल, चिकित्सा और सरकारी आवास की सुविधा मिलती थी। साथ ही उन्हें आवासीय खर्च के लिए प्रति वर्ष 35 हजार रुपये, टेलीफोन सेवा के लिये प्रति वर्ष 48 हजार रुपये और बिजली के लिये प्रति माह 1500 रुपये मिलता था।

मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवनभर सरकारी बंगलों में रहने की अनुमति दी गई थी। परंतु जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू होने के कारण यहां के पूर्व मुख्यमंत्री इस आदेश से बचे हुए थे और सरकारी बंगलों में रह रहे थे। अब जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां भी लागू हो गया है। सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों और राजनेताओं को सरकारी आवास खाली करना होगा।

उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अभी भी सरकारी बंगले में रहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने अपने बंगलों के नवीनीकरण पर लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।